न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 07/2025 तारीख रजू :– 03.04.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

1. अमरसिंह पुत्र नारायण
2. गील्या पुत्र नारायण
3. विजयसिंह पुत्र नारायण
4. दलगंजी पुत्र नारायण
5. गुलकन्दी पत्नि स्व0 नारायण
6. सन्तरा पुत्री नारायण
7. कैलाशी पुत्री नारायण
8. सन्तो पुत्री नारायण

जाति मीना निवासी नांगल माडल तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

अपीलांटस

बनाम

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नांगल मांडल तह0 टोडाभीम जिला करौली राज।
2. भवर पुत्र नर्वदा पत्नि लटूर
3. रामखिलाडी पुत्र नर्वदा पत्नि लटूर
4. मोहरा पत्नि केदार पुत्र नर्वदा पत्नि लटूर
5. खुशीराम पुत्र केदार पुत्र नर्वदा पत्नि लटूर
6. बन्टू पुत्र केदार पुत्र नर्वदा पत्नि लटूर

जाति मीना निवासी मोहनपुर सांथा तह0 महवा जिला दौसा राज0

7. सवाई पुत्र राजन्ती पत्नि मॉगीलाल
8. रामहरि पुत्र राजन्ती पत्नि मॉगीलाल

जाति मीना निवासी ओडमीना तह0 महवा जिला दौसा राज0

9 तहसीलदारजी तह0 टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत नांगल मांडल

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज0)

नामान्तकरण संख्या 614, व 615 तारीख 20.01.2022

उपस्थित :— 1 अभिभाषक अपीलांटस :— सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांक— 29/08/25

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश अदालत मातहत ग्राम पंचायत नांगल मांडल का निर्णय दिनांक 20.01.2022 रूयेदाद मिसिल विधि विरूद्ध होने के फलस्वरूप निरस्त फरमाये जाने योग्य है आराजीयात खाता संख्या 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 191 जमावंदी सम्वत 2073—2076 ग्राम नांगल मांडल तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है जिसमे रामपति पत्नि हरसहाय मीना का नाम सही है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 को द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये ही नामान्तकरण संख्या 614, व 615 दिनांक 13.01.2022 को पटवारी हल्का द्वारा खोला गया उसी दिन आई0 एल0 आर0 द्वारा तुलना की गई तथा दिनांक 20.01.2022 को संरपंच ग्राम पंचायत नांगल मांडल द्वारा तस्दीक कर दिया जो एकदम गलत व विधि विरुद्व तरीके से भरा जाकर तस्दीक किया गया है रामपति पत्नी हरसहाय के कोई संतान नही थी तथा हरसहाय के विन्द से रामपति के कोई औलाद नही हुई है। रामपति अपीलांटस की चाची लगती है उसके बावजूद भी नर्वदा व राजन्ती को हरसहाय की पुत्री बताकर एकदम गलत तरीके से नामांन्तरकरण नर्वदा व राजन्ती के हक में तस्दीक किया गया है तथा उक्त आराजीयात रामपति को अपने पति हरसहाय से विरासत में मिली है अगर नर्वदा व राजन्ती हरसहाय की पुत्री होती तो हरसहाय की विरासत के समय ही उनके नाम नामांन्तरकरण तस्दीक हो गया होता ये सब जानकारी होन के बाबजूद भी नामान्तरकरण भरकर स्वीकार कर कानूनी भूल की है नर्वदा व राजन्ती दोनो फौत हो चुकी है उनके वारिसान को पक्षकार बनाया है।

नामान्तरकरण भरते समय व नामांन्तरकरण तस्दीक करते समय नर्वदा व राजन्ती का कब्जा नही था एकदम गल[illegible] से नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया है जो मंसूख फरमा[illegible] नारायण व रामपति के पति हरसहाय खास भाई थे नारायण के [illegible] हम अपीलांटस है हरसहाय के कोई संतान नही थी हरसहाय की विरासत उसकी [illegible] रामपति के नाम खुल गयी रामपति ताउम्र अपीलांटस के साथ ही रही थी तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त रामपति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज0)

के सभी किया कर्म अपीलांटसद्वारा ही किये गये जिसकी सपूर्ण जानकार रेस्पोडेन्ट नं0 1 को भली भांति रही है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 614 , 615 रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 के हक में तस्दीक कर कानूनी भूल की है। इसलिये अपील मंजूर फरमाये जाने योग्य है। अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस का सजरा निम्न है धनपाल के दो लडके नारायण व हरसहाय व दो पुत्रीया नर्वदा व राजन्ती है नारायण के वारिसान अपीलांटस है तथा हरसहाय लाऔलाद फौत हुआ है उसकी पत्नि रामपति थी जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है नर्वदा व राजन्ती का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 8 है यह है कि रेस्पोडेन्टस नं0 1 को उक्त आराजी के बाबत् अपीलान्ट के कब्जे बाबत् पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये। बिना अपीलांट को नोटिस दिये, नामान्तकरण तस्दीक फरमाकर कानूनी भूल की है। अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 18.03.2025 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई है। जिस पर अपीलांट द्वारा नामान्तकरण की नकल लेकर अपील नामान्तकरण अंदर योम जानकारी अन्दर म्याद पेश है। दफा 5 लिमिटेशन की दरखास्त अलग से प्रस्तुत है इसलिए अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 614, 615 तारीखी 13.01.2022 ग्राम पंचायत नांगल माडल तह0 टोडाभीम निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम फरमाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिए सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्स भवर स्वंय उपस्थित आया, अन्य कोई उपस्थित नही आया। मूल नामांन्तरकरण तलब किये मैने अधिवक्ता अपीलांटस की बहस सुनी। अधिवक्ता द्वारा अपने अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस नं0 1 के द्वारा बिना सुनवाई के बिना नोटिस देकर रामपति व हरसहाय के वारिसो को गलत रुप से नामांन्तरकरण तस्दीक कर दिया है। इसलिए उक्त नामांन्तरकरण निरस्त फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

मैने अपीलांटस की बहस व [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया कि उक्त नामान्तरकरण अपीलांट को [illegible] सुनवाई का अवसर दिये, भरकर तस्दीक किये गये है अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा नामांन्तरकरण संख्या 614, व 615 दिनांक 20.01.2022 निरस्त किये जाकर अपील रिमाण्ड की जाकर तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज0)

वह दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर रामपति व हरसहाय के वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक फरमावे।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, करौली (राज0)
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested